an>

Title: Need to restart Coal Handling Plant, Kalyani in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand.

**श्री स्वीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह)** ः मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कोल इंडिया के सी.सी.एल. के ढोरी परिक्षेत्र के कल्याणी परियोजना में वर्ष 1985-86 में सी.एच.पी. (कोल हैंडलिंग प्लांट) की स्थापना पावर प्लांटें में कृश कोयला को रेपिड लोडिंग सिस्टम के तहत भेजने के उद्देश्य से हुआ था, जो वर्ष 1995 में पूरा हुआ और 23 मार्च, 1995 से पावर प्लांटों में कोयले की आपूर्ति की जाने लगी। इस प्लांट में चीरूडीह श्रमिक सहयोग समिति नामक को-ऑपरेटिव के अधीन 140 मजदूर लगातार स्थायी प्रकृति के काम में कार्यरत हैं। उक्त मजदूरों को भारत सरकार मिनिमम वेजेज के तहत मासिक वेतन का भुगतान हाई पावर कमेटी की अनुशंसा के अनुसार होता रहा था। इन मजदूरों को फरवरी 2016 से वेतन नहीं मिल रहा है। इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पिछले 24 मई, 2016 से सभी मजदूरों की हाजिरी बिना पूर्व सूचना के बंद कर दी गयी और प्लांट को बंद कर दिया है। जबकि उक्त मजदूरों का स्थायीकरण तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए मामला झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2002 में स्थाईकरण हेतु इंक्वायरी भी की गई थी। मजदूरों एवं यूनियनों द्वारा इसे चालू करने की मांग की जा रही है, जिस पर सी.सी.एल. मुख्यालय की टीम तीन बार आकर जांच कर गयी है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सी.एच.पी. में 200 एम.एम. का कोयला कृश किया जाना था जिसे बाद में प्रबंधन द्वारा माइनस 100 एम.एम. का कर दिया गया। मजदूरों के अनुसार प्लांट को अभी भी चालू किया जा सकता है। अभी प्लांट के हॉपर में 2300 टन और ग्राउण्ड बैंकर में लगभग 10 हजार टन कोयला उपलब्ध है। अधिक समय से कोयला रहने पर हॉपर में आग लगने की संभावना है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि कल्याणी सी.एच.पी. को राष्ट्रहित एवं मजदूर हित में मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान करते हुए प्लांट को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए।